संख्या-11/2022/पी-290/001-38-9002 002 8 2022

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 27 सितम्बर 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में प्रथम किश्त के रू में केन्द्रांश रू0 11.25 करोड़ (रू0 ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि तथा केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 7.50 करोड़ (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र)की धनराशि, कुल (केन्द्रांश+राज्यांश) रू0 18.75 करोड़ (रू0 अठ्ठारह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2932/20/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2022-23, दिनांक-31.08.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 11.25 करोड़ (रू0 ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि तथा केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 7.50 करोड़ (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि, कुल (केन्द्रांश+राज्यांश) रू0 18.75 करोड़ (रू0 अठ्ठारह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 11.25 करोड़ (रू0 ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि तथा केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 7.50 करोड़ (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि, कुल (केन्द्रांश+राज्यांश) रू0 18.75 करोड़ (रू0 अठ्ठारह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) आकड़ो की शुद्धता, अनुमन्यता एवं पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीक़ति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः उसी मद में निर्धारित सीमांतर्गत अनुमन्य होगा, जिसकी अनुमन्यता योजना की गाइडलाइन्स में निर्धारित है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर ब्याज अर्जन के उद्देश्य से किसी बैंक खाता/ डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चत करते हुए किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के नियमानुसार व्यय होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियत संगत आहरण/व्यय तथा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रूपये 11,25,00,000 (रूपये ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 013 लेखा शीर्षक 5054043370201 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कोका निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रूपये 7,50,00,000 (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 5054043378901 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़को का निर्माण मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ-ई0-2-69/दस-2022-23 दिनांक-14.09.2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

संख्या-11/2022/पी-290/001-38-9002 002 8 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) , प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आयुक्त , ग्राम्य विकास , उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- श्री हरी राम (नोडल अधिकारी), संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्ट करने हेतु।
8- गार्डबुक।

आज्ञा से,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in